BA PART –II (Hons.) & (SUB), Paper- IV

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

दलीय प्रणाली के गुण एवं दोष (Merits & Demerits of Party System)

प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना अतिआवश्यक है। अर्थात् दल पद्वति आवश्यक है। दलीय पद्वति के जितने प्रशंसक हैं वही दूसरे तरफ उसके आलोचक भी है। इसलिए दल प्रणाली के गुण–दोषों का विवेचना करना आवश्यक है।

दलीय पद्वति के गुण (Merits of Party System)

1. **राजनीतिक जागरण** – राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा गया है। राजनीतिक दल समय–समय पर लोगों को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करते हैं तथा राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आम लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास एवं जागृति पैदा कर निर्वाचन में अपनी सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से समाज में राजनीतिक जागरण लाने का काम करते हैं।
2. **राजनीतिक दल मानव प्रकृति के अनुकूल** – देश में विभिन्न स्वभाव एवं विचारधारा के लोग निवास करते हैं। सभी का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण अलग–अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुकूल ही राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है और दल के माध्यम से लोकहित का कार्य करता है। कोई भी मानव अपनी विचारधारा के विरूद्व राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण

नहीं करता है, अगर किसी कारणवश दबाब में आकर कर सदस्यता ग्रहण भी लिया तो कुछ समय के बाद उस दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है।

3. **लोकमत का निर्माण** – सभी राजनीतिक दल लोकमत निर्माण का कार्य करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने–अपने ढ़ग से राजनीतिक समस्याओं को जनता के बीच रखकर तथा उस समस्या के निराकरण के तरीकों से अवगत कराकर अपने पक्ष में लोकमत निर्माण का कार्य करता है। लोकमत निर्माण के लिए सम्मेलन, अधिवेशन, विचार–गोष्ठी, सभाएँ आदि का आयोजन करती है। लोकमत निर्माण में समाज के प्रतिष्ठित लोगों का भी सहयोग लेती है।
4. **मतदाताओं को संगठित करना एवं मतदान के लिए प्रोत्साहित करना** – प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व काफी अधिक है। जिसकी आशाएँ अपनी दलीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। राजनीतिक दल राजनीतिक गुरूत्वाकर्षण का केन्द्र है। राजनीतिक दल के बिना मतदाता बिखरे हुए पत्ते के समान हैं और राजनीतिक दल उस बिखरे हुए मतदाताओं को समेटने का काम करती है। राजनीतिक दल लोगों के विचारों व मतों के वाहन तथा चुनाव प्रक्रिया में शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनमत को एकत्रित कर निर्वाचन के समय मतदान के लिए प्रेरित करता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय मतदाता सूची तैयार कराने में सहयोग, मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराने का भी कार्य करता है ताकि मतदान के समय मतदाताओं को कोई कठिनाई न हो।
5. **शासन का संचालन तथा आलोचना** – राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त कर शासन सत्ता का गठन करता है। शासन पक्ष के दलीय प्रतिनिधि सरकार के नीति निर्माण व कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करती है वही विपक्षी दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का आलोचना करती है। सरकारी नीतियों को स्वस्थ व रचनात्मक विरोध करके वे प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं।
6. **शासन की निरंकुशता पर प्रतिबन्ध** – राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विपक्षी पार्टी सरकार की हर गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। सरकार की गलत नीतियों के विरूद्व आवाज उठाती है तथा जनता की समस्याओं को सदन तक पहुँचाने का कार्य करती है।

कभी–कभी विपक्षी दल सरकार के विरूद्व देशव्यापी आन्दोलन भी छेड़ देती है और उसे लोकमत के आगे झूकने के लिए बाध्य कर देती है।

7. **शासन के विभिन्न अंग में सामंजस्य स्थापित करना** – राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे एक–दूसरे को जोड़ते हैं तथा कार्यपालिका के कार्यो में सहयोग कर शासन संचालन में मदद करते हैं।
8. **सामाजिक व राजनीतिक सुधार** – अनेक राजनीतिक दल लोकहितकारी एवं अन्य रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। कई राजनीतिक दल समाज–सुधार के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा कार्यक्रम के संचालन में सहायोग करते हे। जैसे– स्त्री शिक्षा, मद्य निषेध, बचपन बचाओ आन्दोलन, दलित उत्थान कार्यक्रम इत्यादि।

दलीय प्रणाली के दोष (Demerits of Party System)

1. **राष्ट्रीय एकता पर अघात** – दल प्रणाली समाज को विभिन्न वर्गो एवं गुटों में बॉटकर राष्ट्रीय एकता को भंग करती है। दलीय प्रणाली में दल को वास्तविक में राष्ट्र हित से ज्यादा अपने दल के हितों की चिन्ता होती है। दलीय प्रणाली में दल के सदस्यगण लोगों को अपने दलीय स्वार्थो में बॉधकर राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुॅचाने का कार्य करती है। दल प्रणाली समाज में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने का काम करती है।
2. **मानव के स्वतंत्रता का हनन** – लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है लेकिन दलीय व्यवस्था में अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी दल से जुड़े होते हैं। दल से जुड़े होने के कारण दल के निर्णय को मानना, उनकी बाध्यता होती है। जिसके कारण वे चाहकर भी अपनी भावना/विचार, जो दल के विचारधारा के विरूद्व हो, को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दलीय व्यवस्था मानव के विचार एवं दृष्टि को संकुचित बनाती है। जिससे मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात होता है।

3. **<u>जनता में द्वेष एवं कटुता की भावना पैदा करना</u>** – राजनीतिक दल चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच तरह तरह की भ्रांतियॉ फैलाती है एवं एक दल दूसरे दल के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं जिससे विभिन्न दलों के लोगों के बीच आपस में द्वेष एवं कटुता की भावना पैदा होती है। चुनाव के समय दल अपने नैतिक मूल्यों को भूलाकर आपस में टकराव की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। **लॉर्ड ब्राइस** के शब्दों में, "दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट को स्थान देता है।"
4. **<u>सुयोग्य प्रतिनिधि की उपेक्षा</u>** – दलीय शासन प्रणाली में बहुमत दल ही शासन का गठन कर सकते हैं। बहुमत दल के निर्वाचित प्रतिनिधिगण ही विभिन्न पदों पर आसीन हो सकते हैं। विपक्षी दल के निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे वह कितना भी योग्य एवं ईमानदार क्यों न हो सत्ता पक्ष में उनकी भागीदारी नहीं हो सकती है अर्थात् मंत्री एवं उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार दलीय व्यवस्था में सर्वोत्तम प्रतिनिधि की उपेक्षा होती है।
5. **<u>दलीय व्यवस्था भष्टाचार को जन्म देती है</u>** – दलीय व्यवस्था समाज में भष्टाचार फैलाने का काम करती है। चुनाव के समय दल के नेता अपने दलीय प्रतिनिधि को चुनाव में विजयी कराने के लिए कई तरह के भष्ट साधनों का सहारा लेती है। चुनाव के समय मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, नकद राशि, आवश्यक साम्रगी का वितरण इत्यादि का भी सहारा लेती है। संयुक्त सरकार के गठन में प्रतिनिधियों की सौदेबाजी होती है। इससे समाज में नैतिकता का पतन होता है।
6. **<u>शासन पक्ष का विरोध</u>** – दलीय शासन पद्वति में बहुमत दल सत्ता में तथा अन्य दल विपक्षी दल के रूप में होते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों एवं कार्यो का उचित–अनुचित का आकलन किए बैगर ही सरकार का विरोध करता है। कभी–कभी विपक्षी दल लोकहित निर्णयों का भी विरोध करने लगती है। **ब्राइस** के शब्दों में, "संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है, जहॉ वाद–विवाद और आपसी झगड़ों में जनहित भुला दिया जाता है।"

7. **दलीय प्रतिनिधि पॅजीपतियों की कठपुतली** – चुनाव के समय राजनीतिक दलों के द्वारा काफी अधिक राशि खर्च की जाती है। समाज के पूॅजीपति वर्ग चुनाव के समय दल व दलीय प्रतिनिधि को आर्थिक रूप से मदद करते हैं। उस दल के प्रतिनिधियों को चुनाव जीताने के लिए हर रूप से सहयोग करते हैं। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद उस दल के निर्वाचित प्रतिनिधिगण एवं मंत्रीगण पूॅजीपति के इशारे पर ही कार्य करते हैं। चाहे वह नीति निर्धारण का मुद्वा हो अथवा योजनाओं के चयन व क्रियान्वयन का मामला हो।
8. **अधिनायकत्व को प्रोत्साहन** – संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत की सरकार के नाम पर प्रधानमंत्री अथवा मंत्रीगण तानाशाही रवैया अपनाते हैं। दलीय व्यवस्था में अल्पमत दल की उपेक्षा होती हे। जैनिग्ज के शब्दों में, "जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ हो वह कुछ समय के लिए अधिनायकत्व स्थापित कर लेता है।"